जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) चित्तौड़गढ़

"To provide academic and resource support at the grass-roots level for the success of the various strategies and programmes being undertaken in the areas of elementary and adult education, with special reference to the objectives "

शिक्षा में गुणवत्ता, षिक्षक की गुणवत्ता के समानुपाती होती है। अतः षिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु षिक्षक की व्यावसायिक क्षमता संवर्धन करना आवश्यक है। प्रारम्भिक शिक्षा में सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक उन्नयन, नवाचार व शैक्षिक अनुसंधान में गत्यात्मकता के प्रयास हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) अपनी मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

छ॰ 2005 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं शिक्षण को जन आकांक्षाओं के अनुरूप उपलब्धिपरक बनाने के लिए विभिन्न प्रषिक्षणों एवं कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है।

निःषुल्क एवं अनिवार्य बाल षिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रावधानानुसार 6–14 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा प्रदान करने का कार्य राज्य सरकार व केन्द्र सरकार का है। इसके अन्तर्गत सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) के द्वारा बालकों को परीक्षा से भयमुक्त कर उनके सर्वांगीण विकास का रास्ता खोला गया है।

षिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु षिक्षक की व्यावसायिक क्षमता संवर्धन हेतु डाइट्स द्वारा दो प्रकार के प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते है – सेवापूर्व एवं सेवारत प्रषिक्षण। जैसा की स्पष्ट है सेवा पूर्व प्रषिक्षण द्वारा भावी षिक्षक तैयार होते हैं तथा शिक्षण में अनुभूत कठिनाइयों को दूर कर नवीनतम शिक्षण कौशल से परिचित करा कर शिक्षण को सरल एवं प्रभावी बनाने हेतु सेवारत प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है।

चित्तौड़गढ़ की पावन एवं शौर्यमयी धरा पर स्थिति जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान ने इसी ध्येय को मूर्त रूप प्रदान करने के लिये जिले की शैक्षिक आवष्कताओं, संस्थाओं में उपलब्ध संसाधनों तथा कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुये सत्र 2015–16 का वार्षिक पंचांग निर्मित किया है जिससे वर्ष भर की उपलब्धियों के सिंहावलोकन का अवसर भी प्राप्त होगा। आषा है पंचांग में प्रस्तावित कार्यक्रम जिले के षिक्षकों के व्यावसायिक एवं शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि में सहायक सिद्व होंगे।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. जिले के राजकीय एवं निजी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रबन्धन एवं कक्षा–शिक्षण की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करना।
2. विभिन्न प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं एवं प्रसार कार्यक्रमो के माध्यम से शिक्षकों में व्यावहारिक दक्षता एवं प्रतिबद्धता बढ़ाना।
3. पाठ्यक्रम की समझ विकसित करना तथा विषय वस्तु को स्थानीय परिवेश से जोड़ते हुए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु उपयोगी अधिगम सामग्री का विकास करना।
4. शत प्रतिशत नामांकन एवं कक्षोन्नति युक्त ठहराव सुनिश्चित करने एवं कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करना।
5. कक्षा शिक्षण में शैक्षिक नवाचारों के उपयोग हेतु शिक्षक को नवाचारों से जोड़ना।
6. शिक्षक में अनुसंधान के दृष्टिकोण का विकास एवं क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
7. शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण व प्रयोग में बढ़ावा देना तथा टी.एल.एम. का अधिकतम उपयोग करना।

राजकीय विद्यालय में बाल केन्द्रित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्रियान्वयन योजनानुसार करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जिला स्तर पर शिक्षा को गतिशील एवं सामयिक बनाने हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की स्थापना की गयी।

1. विद्यालय शिक्षा के सेवारत एवं सेवापूर्व शिक्षको को प्रशिक्षण देना।
2. औपचारिक एवं सतत् शिक्षा के अनुदेशकों को एवं पर्यवेक्षको के लिए सतत् प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना।
3. संस्था प्रधानो को संस्थागत योजना प्रबन्ध तथा सूक्ष्म स्तर पर योजना निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं अभिनवीनीकरण करना।
4. जिले मे आठवी बोर्ड परीक्षा सम्पन्न करना।

5. सामाजिक स्वंय सेवी संस्थाओं तथा अन्य प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कार्यकर्ताओ का अभिनवीनीकरण करना।
6. क्रियात्मक अनुसंधान तथा प्रयोयिक कार्य करना।
7. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक औपचारिक शिक्षा तथा सतत् शिक्षा के लिए मूल्यांकन केन्द्र की भूमिका निभाना।
8. अध्यापको व अनुदेशको के लिए अधिगम सामग्री व शिक्षण के लिए साधन सुविधाएँ जुटाने वाले संदर्भ केन्द्र की भूमिका निभाना।
9. जिला शिक्षा इकाइयों को सलाह व सहयोग देने का कार्य करना।
10. शैक्षिक अनुसंधान, नवचार एवं विकासात्मक प्रवृत्तियो का प्रकाशन करना।
11. शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री निर्माण तथा मूल्यांकन करना।